

भाज अदालत- सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, मुकाम गंगापूर

प्रकाश/गुन्ठ बनाम रमण/गुन्ठ

फैस मुकदमा- .....वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 R.O.A नं० 73 सन् 2021

|             |                                 |  |
|-------------|---------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म रम कार्यवाही का इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की आगाम में जारी हुए |
|-------------|---------------------------------|--|

8/6/2021 वादी/वादीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रकाश/गुन्ठ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 R.T.A. के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 23/08/2021 को पेश हो।

**सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा**

5/7/2021 मिसल काज दिनांक 5/7/2021 को वादी एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र पेश करने से सिजे से उत्तर की गई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं के द्वारा वाद पत्र पर विवेक किया कि उपरोक्त प्रकरण में कोर्ट कार्यवाही नहीं चलाने के लिये पत्रावली को रद्दी हार पर विचारित कर ड्रोप करवाना परमाणु।

*Substant*

कने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रत्येक पत्र पर गौर किया वाद गण के वादी द्वारा उक्त के कोर्ट कार्यवाही नहीं चलाने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 R.O.A का कोर्ट कार्यवाही नहीं चलाने से रद्दी हार पर ड्रोप किया जाया है। पत्रावली के अन्तर्गत मुकाम रमण से का है।

*Identified by  
Nishu*

**सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा**

